Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)
Email : **rorpcbudaipur@gmail.com** Phone no : 0294-2491269

Dated : 13/11/24

No.: RPCB/RO U/UDR/ 1921

The Secretary,
Environment and Climate Change,
State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA),
10, Bhawani singh Lane, Bhawani Singh Rd,
Sahakar Marg, near ETC,
Jaipur, Rajasthan (Pin code no. 302005)

Sub:- Regarding minutes of public hearing dtd. 18-10-2024 for Environmental Clearance of **Sh. Pavan Dev Rao Tikhe, Quartz, Feldspar & Masonary stone Mine (M.L. No.- 05/2023), N/v-Shishvi, Tehsil-Girwa (Kurabad), District : Udaipur.**

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर पत्र क्रमांक प.39/2( )राज./खनन/2024/2058–60 दिनांक 11.09.2024

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 18-10-2024 for proposed production **Sh. Pavan Dev Rao Tikhe, Quartz, Feldspar & Masonary stone Mine (M.L. No.- 05/2023), N/v-Shishvi, Tehsil-Girwa (Kurabad), District : Udaipur.**

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully,

Encl: As above.

09/12/2024

(Sharad Saksena)
Regional Officer

IT

Copy to:- (1) The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
(2) Sub Divisional Magistrate, Girwa, Udaipur.
(3) Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
(4) Sh. Pavan Dev Rao Tikhe, N/v- Shishvi, Tehsil- Girwa (Kurabad), District: Udaipur.

Signature valid
Digitally signed by Sharad Saksena
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.11.13 16:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11769563

श्री पवन देव राव तीखे, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 18.10.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम– शिशवी, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्त्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 14.09.2024 एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 14.09.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई "**श्री पवन देव राव तीखे**" द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन** खनन परियोजना **(एम.एल.न. 05/2023** (लीज क्षेत्र 1.3980 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 50.0465 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1363373 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 156250 TPA निकट ग्राम–शिशवी, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 01/– करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 12.10.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा. उदयपुर

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "स" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:–

श्री किशन लाल, सरपंच, ग्राम पंचायत शिशवी :–

मैं एस.डी.एम. मेम, सर और पधारे हुए ग्रामवासी मैं तो यही निवेदन करता हूं कि हमारे यहां क्षेत्र में माईन्से है पर क्षेत्र से दूर नही है। पर जो आवश्कयता पड़ने पर जिसको लोग शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जरूरत हो तब हमारे फायदा हो थोड़ी हेल्प दो चार लोगो को आसपास के जिनको रोजगार प्रदान किया जा सकता है। बस यही निवेदन है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

कितना रोजगार जनरेट करेंगे।

पर्यावरणीय सलाहकारः–

सर प्रत्यक्ष रूप से 15–20 और अप्रत्यक्ष रूप से 25–30

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

आस पास के गांवो से ही है

पर्यावरणीय सलाहकारः–

जी सर, लोकल ही को लेगें।

श्री दलपत सिंह ग्रामीण :–

आज हमारे ग्राम पंचायत शिशवी में आज जो पर्यावरण के मुद्दे पे जो ग्राम सभा रखी गई हो उसमें पधारे हुए एस.डी.एम. मेम और आप सभी अधिकारीगण आप सभी को ग्राम पंचायत शिशवी की तरफ से हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत तथा गांव से पधारे हुए बुर्जुगगण और ग्रामवासी को भी ग्राम

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

पंचायत शिशवी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आस पास में अभी चार पांच माइन्स जो वर्तमान में चल रही है हमे ग्राम पंचायत को उससे फायदा है रोजगार भी मिला है। हम माईन्स के ऑनर के पास जाते है तो अभी हमारे माईन्स वालो ने ट्री गार्ड भी दिया है और विद्यालय में समय समय पे सुविधाएं उपलब्ध कराते है। कम्प्यूटर है या पानी की व्यवस्था है इससे हमारे ग्राम मे फायदा तो हुआ ही है। विकास तो हो ही रहा है जो पर्यावरण का बजट आता है हर साल वो भी हमे पचास लाख का जो बजट दिया हो उसमे जो माईन्स से जो रायल्टी उत्पन्न होती है उसका कुछ परसेंट बच जाता है वो भी दिया हो इससे हमारे ग्राम में काफी विकास होता है। हम चाहते है आगे भी जो हमारे माईन्स ऑनर की जो माइेन्से लग रही है या है, तो वर्तमान में आप समय समय पर ग्राम पंचायत का सहयोग करें ताकि ग्राम का विकास हो सके पंचायत का विकास हो सके पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की हो या कोई हमारे सार्वजनिक पेयजल की हो जब भी हम ग्रामवासी पंचायत मांग करे आप समय–समय पर सहयोग करें और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे कभी कोई ग्रामवासी को और पंचायत को समस्या नही आए आप वो जो बलास्टिंग करते है। वो नियमानुसार ही करे ताकि हमारे आसपास के क्षेत्र जो भी मकान बने हो बस्ती हो उसे कोई नुकसान ना हो मै यही कहना चाहता हूं। आप सभी का धन्यवाद अधिकारीगण को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को ग्राम पंचायत शिशवी की और से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद।

श्रीमती रिया डाबी मेडम, उपखण्ड अधिकारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुरः–

बलास्टिंग का क्या टाइम होता है

पर्यावरणीय सलाहकार :–

दिन के समय में ही की जायेगी बादल या बारिश के समय नहीं की जायेगी।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

और कोई कहना चाहे वो आ सकते है

श्री उदय सिंह सांरगदेवोत ग्रामीणः–

आदरणीय एस.डी.एम. साहब, पर्यावरणीय अधिकारी गण ग्राम पंचायत से पधारे हुए जन प्रतिनिधि और ग्रामवासी आज पर्यावरण स्वीकृति के बारे मे जो जन सुनवाई रखी है मै आपसे और सभी ग्रामवासियों से एक बात कहना चाहता हुं कि में इस लाईन में पिछले 40 साल से कर्मचारी हूं मैं इसकी बारिकी इसका क्या फायदा है आपके यहां जो खान चालू होगी उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि रायल्टी के साथ हमारे यहां DMFT के नाम से पैसा ले लिया जाता है। 10 प्रतिशत रायल्टी का 10 प्रतिशत वो एक ऐसा फण्ड होता है जो किसी भी गाँव में विकास में काम नही आ रहा हैं। उसका किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप सब हो बता रहा हूं रेवेन्यु विलेज पदमपुरा था वहां डामर रोड नयी बन रही थी और नार्म्स में सिर्फ दो पापूलेशन कम थी 250 की पापूलेशन ने प्रधानमंत्री रोड बनती भी और इनकी 248 थी दो के पीछे वो पूरा गांव दस साल तक पिछड़ा जब बात चली थी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा. उदयपुर

तो 17–18 के आसपास ही डिपार्टमेंट ने DMFT लगाया था इसका पैसा सारा कलेक्टर साहब के पास होता है। कलेक्टर साब उस पैसों को जनप्रतिनिधि की अनुशंशा पर MLA और MP के साथ जो नॉर्म्स में नहीं आता है वहां विकास में लगाते थे। RV पदमपुरा वाली रोड DMFT में डामर रोड बनाई जो यह DMFT नही होती तो पदमपुरा आज भी कच्ची रोड पे होता दूसरा आज सरकार कई योजनाएं लाना चाहती की उधोग आये, उधोग जहां आयेगा वो वहां विकास होगा। कई तरह की छूट देती है जबकि अपने यहां माइनिंग की कोई ऐसी छूट नहीं है। मैं बाहर के कुछ जानकारी जो पढे लिखे लोग है उन्होने सेज पढा होगा स्पेशल इकोनोमिक्स जोन, सेज लाते ही इसलिए कि कैसे भी करके उधोग आये और हमारी यहां उधोग लगे जिससे कि विकास हो।

अपने यहां खाने चलती है जिसका एक छोटा सा उदाहरण दे दू पिछले साल भाई कैलाश भी है। पिछले दो बार में इससे पहले स्कूल के लिए कम्प्यूटर दिये थे और अभी मैने और कैलाश जी ने मिलके फर्नीचर दिया था यह तब हो रहा है जब यहा काम हो रहा है। ये जो होगा तब होगा जब अपने यहां से काम होगा एक दूसरा आज आप पत्थर लेने जा रहे हो चुनाई के माईन्सो से आते है उन माईन्सो का वेस्टेज यहां यूज हो रहा है। कम पैसो में, एक ट्रोली पत्थर निकालो पांच सौ रूपये लगेंगे और वहां से भरकर लाओ। पांच सौ ये तो बच गये गांव के विकास के लिए मिनरल का यहां शिशवी की बात प्रतिकूल कर रहा हूं जो मिनरल है फैल्सपार उसको लिए बहुत बड़ा योगदान है। रही बात पर्यावरण कि तो एक डेढ हेक्टेयर , दो हेक्टेयर में जो माइनिंग करेगा उसके साथ साथ माइनिंग डिपार्टमेंट वालो ने वैसे भी एक नॉर्म्स बना रखा है कि उनको हर साल प्लांटस लगा के बकायदा विडियो रिकॉर्डिंग भेजते है मै कर रहां हूं माइनिंग, पौधे लगा के और उनको पांच साल सरवाईव करके, पांच साल का रिकार्ड भेजते कि हमने इस साल ये पौधे लगाये यह पौधे सरवाईव किये जहां पे कोई मिनरल है वहां पे कोई पैड़ पौधे इतने नहीं होते क्योकि पत्थर में नही पनपते पर जो आपने काम करवाया तो पास में पौधे लगाये तो वहां पे हरियाली बढेंगी, पर्यावरण माइनिंग से इतना नहीं है कोई केमिकल फैक्ट्री हो तो अपन सोचते है कि नुकसान होगा, डस्ट उड़ती है तो मुश्किल से 100 से 150 मीटर की रेंज में रहती है जो माइनिंग के वही पे रहती ही इसके अलावा कोई पोल्यूशन नहीं होता खनन में, तो मे तो यही कहना चाहता हूं सभी ग्रामवासियो से कि खान लगेगी गावं का विकास होगा पैसा आयेगा DMFT लगेगी, DMFT प्रतिकूलर एरिया के लिए होता है। पहली प्राईरेटी जहां से मिनरल निकला, रायल्टी मिली उस क्षेत्र के विकास के लिए होता हो दूसरी प्राइरेटी उसके बाद आप कही से भी कर सकते है। अपने यहां करोडो नहीं अरबो रूपये DMFT में आता हो तभी तो इतना विकास हो रहा है क्योंकि जिंक दे रहा है ये तो छोटी छोटी बाते तो अलग है जिंक रे रहा है क्षामर कोटरा दे रहा है छोटी छोटी जितनी माइन्से है आज एक जो गाडी भरती है वहां पे 130, 163 रूपया रॉयल्टी हो उसका 10 प्रतिशत DMFT में जा रहा है छोटा काम है। तो भी यह 10 प्रतिशत पैसा बनके अपने गांव के विकास में कही

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न कही काम आयेगा आप सभी मिलके जन प्रतिनिधियो से बात करेगें कि भई DMFT का फण्ड इस योजना में लगना चाहिए यहां लगना चाहिए वो पैसा आपके विकास में काम आयेगा दूसरा जो आदमी यहां काम करेगा उसका अपने आप एक सोफ्ट कार्नर रहेगा कि भई गांव में अभी में कैलाश जी की बात कर रहा हूं यह यहां काम कर रहे है तभी तो इन्होने पिछले साल कम्प्यूटर दिया इस साल फर्नीचर दिया यहा नही होते तो क्या करते मुह देखना पड़ता किसी किसी का दो आदमी और काम करने आयेगें तो वो ओर को भी कहेंगे। अपन उसको कह सकेंगे कि आप यहां कर रहे हो हमारा विकास के लिए थोड़ा सा काम कराये। सरपंच साब कही जाकर कह सके कि काम चाहिए तो वो अपने आप देगा क्योंकि वा उनके नॉमर्स में है। मै एक बार वापस यही निवेदन करना चाहता हूं अगर यहां खनन का कोई कार्य होगा तो गांव के विकास के लिए उपयोगी रहेगा।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

कोई और भी बोलना चाहते है तो आ सकते है।

श्री प्रकाश मेघवाल ग्रामीणः–

आदरणीय एस डी एम साहिबा, माईनिंग डिपार्टमेन्ट से पधारे हुए अधिकारी गण गांव के सरंपच साब, पटवारी साब, सचिव साब, उपसरपंच साब और गांव के सम्मानित नागरिकगण माइनिंग डिपार्टमेन्ट के जो भी कम्पीटीटे है। उनसे मेरा पहला सवाल यह है ये जो आप लीज दे रहे हो जिस चीज के लिए वो खातेदारी भूमि पे खनन किया जायेगा या चरणोट भूमि या बिलानाम भूमि पे ।

श्री मुकेश जगेटिया परियोजना सलाहकार :–

खातेदारी भूमि में।

श्री प्रकाश मेघवाल ग्रामीणः–

खातेदारी भूमि पर, इस गांव के पशु कहा जायेंगे, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा जब आप खनन करोगे तो जमीन का पानी का लेवल नीचे जायेगा तो हालांकि खनन की कोई चीज पोजेटीव भी होती कोई नेगेटिव भी होती नुकसान भी होगा तो गांव के पशु बगेहरा जो चरने के लिए जाते है तो आस पास के एरिया को नुकसान हो रहा है उसके लिए आपके पास क्या प्रबध है –

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

पहले आप आपके सारे कुएस्शन पूछ लो फिर जबाव देगे।

श्री प्रकाश मेघवाल ग्रामीणः–

ठीक है दूसरा मेरा यह सवाल है कि ग्राम पंचायत में कुल कितने भूमि पर वर्तमान में खनन हो रहा है और भविष्य में कितना प्रस्तावित है। गांव में अब तक गाव के ग्राम पंचायत के कितने लोगो को रोजगार दिया गया है एवं भविष्य में आप कितने लोगो को स्थानी रोजगार देने का वादा करते है चाहे वो अनस्क्लिड लेबर हो या स्क्लिड है। जब पानी का लेवल काफी नीचे चला जायेगा या जब कुछ समस्या होती है तो आप द्वारा गांव के विकास के लिए क्या क्या प्रस्तावक किये जायेगे एवं क्या क्या

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

आप द्वारा समस्या का समाधान किया जायेगा, अगला सवाल यदि हमें यदि किसी समस्या होती है इस खनन से सम्बन्धित तो हम अपनी समस्या का समाधान के लिए किसके पास आवेदन करे आप द्वारा जो अभी बोला गया स्वीच जो बोला गया है उसकी हार्डकॉपी की प्रति मुझे प्रदान करे धन्यवाद।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

आपने पाइंट नोट करे है पाइंट वाई आप जवाब दे।

पर्यावरणीय सलाहाकार :–

सर का पहला क्यूशन था कि माइनिंग खातेदारी पे होगी कि चरणोत पे तो सर को बता दू कि यह खातेदारी भूमि पर ही की जायेगी जिसका एरिया है 1.3980 हैक्टेयर पूरी खातेदारी भूमि हो और पानी का लेवल है इस माइन्स में प्रुवड और प्रोबेबल दो कैटेगरी होती है प्रूवड कैटेगरी में मतलब 20 मीटर तक मिनरल है प्रोबेबल से मतलब हो सकता है 15 मीटर तो टोटल 35 मीटर तक वो खान कर सकते है। और यहा का जो पानी का जो लेवल है वो 50 से 55 मीटर डेप्थ है जिससे पानी के लेवल को छू नही पायेगा इसके ऊपर ही खनन करेगा और इसके बाद में भी पानी के लेवल को छू जाता है वाटर लेवल उपर जा जाता है तो उनको पहले एनओसी लेनी पड़ती है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेन्ट से जो वे एनओसी देगे तभी वो खनन कर सके है। Next है सर का क्यूशन अगर खान में नियमानुसार खान नही कर रहे है तो हम कहा पर शिकायत करे तो सर खनन विभाग में पोल्यूशन बोर्ड में आप इस जगह शिकायत दर्ज कर सकते है और हार्ड कॉपी आपको दे दी जायेगी।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

और कोई बोलना चाहे तो आ सकते है।

श्री प्रकाश मेघवाल ग्रामीणः–

सर रोजगार के लिए।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

ये माइन्स अभी फ्रेश है इसमें प्रस्तावित स्थानीय रोजगार के लिए 25 से 30 जनरल, लोकल पीपूल जो यही के गांव के आस पास के उनके लिए प्रस्तावित किया गया है। जो अभी के लिए ये माईन्स चालू हुई नही हो चालू होगी क्योकि अभी ये फ्रेश माईन्स है इसलिए इसमें हमने 25 से 30

श्री प्रकाश मेघवाल ग्रामीणः–

नही आपकी कम्पनी का आफिस कहा होगा किस अधिकारी के पास जायेगे साब तो अभी चले जायेगे अभी जो इतना चल रहा है आपके भी जो लेबर काम करेगी तो

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

इनको आप हार्ड कॉपी दे दो ना उसमें सब मेंशन होगा, ये आपको हार्ड कॉपी दे रहे है जिसमें सब चीज मेंशन होगी और मोबाईल नं. भी मेशन होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

श्री बाबु लाल लौहार ग्रामीणः–

आदरणीय एसडीएम मैम और गांव से पधारे नागरिक बन्धु और सरपंच साब में यह कहना चाहता हूं हमारे गांव में रोड भी बन गई है सब कुछ बन गया है पर पशु आज भी रोड पे मर रहे है गाडियो वाले टक्कर देके जा रहे है रोड खराब हो रही है कोई ध्यान नही दे रहा है और उनके लिए गौशाला के लिए जगह चाहिए जो गांव में नही मिल रही है और गांव वाले कोई देने के लिए तैयार नही है उनके लिए कुछ किया जाये आज भी गाये शिशवी गाव में 50 गाये डेली रोड पे निकलती है और इनका एक्सीडेंट होता है मर जाती है कुछ ध्यान नही देता है। ये मै कहना चाहता हूं और आप गाय के लिए एक गौशाला का जगह के लिए कुछ कहे क्योंकि गाय अभी भी मर रही है और मरती रहेगी कोई ध्यान नही देता बाकी रोड़े बन रही है सब हो रहा है। बकायदा आज भी रोड बन रही है उनकी मर रही है कट रही है उनके लिए कोई सुरक्षा नही है खाली ये रोड बच रही है लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नही है यही में कहना चाहता हूं और माईन्से वाले को यह कहना चाहता हूं कि हमारे गांव वाले को अभी तक किसी को कोई काम नही मिला नौकरी किसी को नही मिला, सब बाहर से आ रहे सब बिहारी भर रहे है बाहर से आ रहे है यहा के किसी को नौकरी परमानेंट नही रखा यह कह रहे है कि झूठी बाते है हमने आज दिन तक यह नही सुना कि किसी को नौकरी वहा पे लगी यह सब बेवकूफ बना के चले जाते है मैं नही चाहता कि ये हो कोई बात नही हमारे नौकरी मिल जाये काम मिल जाये बेरोजगार लोग फालतू घूम रहे है उनको नौकरी नही है बस में यही कहना चाहता हूं उन्ही के लिए और गाय के लिए गौशाला के बारे में कहना चाहता हूं बाकि धन्यवाद।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

यह गायो के लिए गौशाला बनवा सकते है जो आपके क्षेत्र में है

पर्यावरणीय सलाहकार :–

सीएसआर में यही लिखा हुआ है सर ग्राम पंचायत की अनुशंषा

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

फिर भी उन्होने एक बात कही है जो बात ठीक है और इस पर आप लोग प्राईरेटी बेस पर देख लिजिये और कोई कुछ कहना चाहेगे जो भी कहना चाहे आ सकते है। कोई भी अपनी समस्या हो सुझाव हो आ सकते है।

श्रीमती रिया डाबी मेडम, उपखण्ड अधिकारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुरः–

आपको कुछ बोलना है तो आप आ सकते है। लिखित में कोई देना चाह रहे है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

और कुछ भी कोई बोलना चाहेगे।

श्री बाबु लाल लौहार ग्रामीणः–

मैं यह कहना चाहता हूं सर कि पहले गौशाला के लिए जगह अलोट होगी बाद में काम दूसरा चालू होगा बाकी गांव वाले कोई गांव वाले आये नही हो । खाली मेन मेन है । बाकी कोई नही आया

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

क्योकि इनको खाली सूचना मिली पूरी सूचना नही मिली यह जगह अलोट होगी तो आगे काम होगा बाकि गांव वाले फिर, गांव वाले जाने।

श्रीमती रिया डाबी मेडम, उपखण्ड अधिकारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

इसकी सूचना अखबार में प्रकाशित कर दी गई है और यहा माईन्स को अलोट नही करवा रही है यह जनसुनवाई है इसकी विडियो रिकार्डिंग जो भी आपने यहा चीजे शेयर करी है हमारे साथ हमें बताया है हम उसको उपर रखेगे SEIAA एक ऑथोरिटी होती है जयपुर भिजवाया जायेगा वहां से डिजीजन होगा फिर ही यह काम चालू होगा अभी इसमें कुछ यश या नो कुछ नही है यह सिर्फ उपर रखेगे फिर ही इसमें डिसीजन होगा आगे भी अगर आपको लग रहा है कि आज गांव वाले नही आये सारे तो आगे भी किसी को लगे कि कुछ और मुझे बताना था या लिखित रूप में कम्लेन्ट देनी है तो या तो आप तहसीदार को दे दीजिये या आप मेरे आफिश में भिजवा दिजिये तो हम उसको उपर भेजेगे अभी कोई फाइनल नही हुआ ये सिर्फ जन सुनवाई है और कोई कहना चाहता है। इसके अलावा, इनको आप हार्डकॉपी दे देंवे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

ठीक है आप सभी पधारे, आपका धन्यवाद जय हिंद।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), गिर्वा, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(रिया डाबी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा
जिला–उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

श्री पवन देव राव तीखे, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन (एम.एल.न. 05/2023, क्षैत्रफल– 1.3980 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1363373 **TPA (ROM)** एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 156250 **TPA** निकट ग्राम– शिशवी, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 18.10.2027 को प्रातः 11.00 **AM** बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम–शिशवी, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	RIA DABI IAS	SDM GIRWA	[illegible]
2	SHARAD SAKSENA	RO RSPCB	[illegible]
3	हेमेन्द्र सिंह चुण्डावत	चौहानो का खेड़ा, शिशवी, ग्रामवासी	हेमेन्द्र सिंह
4	अंकित खटीक	भाकलीखेड़ा, शिशवी ग्रामवासी–	अंकित
5	सागर डांगी	शिशवी ग्रामवासी–	[illegible]
6	Kishan Lal meena	सरपंच शिशवी	[illegible]
7.	दलपत सिंह झाला देद	शिशवी उपसरपंच	[illegible]
8	दिपक प्रजापत	शिशवी ग्रामवासी	[illegible]
9	देवीलाल खटीक	ग्रामवासी शिशवी	देवीलाल
10	दिनेश लाल	बेड़	दिनेश
11	कैलाश डांगी	शिशवी (सेजलाई)	[illegible]
12	भेरू सिंह	शिशवी	[illegible]
13	प्रकाश मेघवाल	ग्रामवासी–	प्रकाश
14.	देवराज सिंह चुण्डावत	पिथलपुरा हवेली	Devraj Singh
15	बाबुलाल डांगी	V.D.O. ग्रा.प. शिशवी	[illegible]
16	लालुराम	ऊंकार	लालुराम
17	नन्दलाल मीणा	शिशवी	नन्दलाल
18	उदय सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई	[illegible]
19	राधु	शिशवी	[illegible]
20			
21			